न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र : 108/2022
निर्णय दिनांक : 18.10.2023

1 छीतरमल पुत्र पाचूराम
2 पप्पूलाल पुत्र छीतर
3 प्रभु संघ पुत्र चित्रार सर्व जाति जाट सर्व निवासी ब्यूरो की ढाणी, ग्राम कोकावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सागानेर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 83 रकबा 0.43 हैक्टयर ग्राम कैलाशपुरा उर्फ कोकावास पटवार हल्का शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है जिसका हिस्सा 1/2 (2150/4300) राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे प्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज रहा है प्रार्थी संख्या 2 व 3 प्रार्थी संख्या 1 के संगे पुत्र है। प्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 83 रकबा 0.43 हैक्टयर में अपने हक हिस्सा 2150/4300 मे से हिस्सा 1000/4300 भाग भूमि प्रार्थी संख्या 2 को तथा हिस्सा 2150/4300 में से हिस्सा 1000/4300 भाग भूमि प्रार्थी संख्या 3 को जरिये रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 11.09.2018 दे दी. इस प्रकार उक्त भूमि में प्रार्थी संख्या 1, 2 व 3 का हिस्सा निम्न प्रकार विभाजित हो गया।

प्रार्थी संख्या 1 छितरमल–हिस्सा 150/4300,
प्रार्थी संख्या 2 पप्पूलाल– हिस्सा 1000/ 4300,
प्रार्थी संख्या 3 प्रभुदयाल हिस्सा 1000 4300

अप्रार्थी के अधिकारियो व कर्मचा[illegible] सहवन से नामान्तकरण संख्या 306 एवं राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे प्रार्थी [illegible] खसरा नम्बर 83 रकबा 0.43 हेक्टयर में प्रार्थी संख्या 1, 2 व 3 का हिस्सा [illegible] प्रकार दर्ज कर दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.22 17:31:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रार्थी संख्या 1 छितरमल हिस्सा निल
प्रार्थी संख्या 2 पप्पूलाल–हिस्सा 1075/4300 (हि 1/4)
प्रार्थी संख्या 3 प्रभुदयाल–हिस्सा – 1075/4300 (हि 1/4)

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 मे वर्णितानुसार प्रार्थी संख्या 1, 2 व 3 का सही हिस्सा नामान्तकरण संख्या 306 व राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे अंकित करने के लिये प्रार्थीगण अप्रार्थी से दिनाक 10.11.2022 को मिलकर प्रार्थना पत्र दिया, किन्तु अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण से यह कहा गया कि आप माननीय न्यायालय में सही हिस्सा दर्ज करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश करे तब प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र मे वर्णितानुसार अप्रार्थी द्वारा सहवन से हुयी गलती के कारण प्रार्थीगण को सरकारी कार्यो में एव बैंक से लोन लेने में घोर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. प्रार्थीगण अपने हक अधिकारो से वंचित हो रहे है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मे वर्णितानुसार रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनाक 11.09.2018 के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 83 रकबा 0.43 हैक्टयर में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व नामान्तकरण संख्या 306 में प्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 150/4300, प्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा 1075/4300 व प्रार्थी संख्या 3 का हिस्सा 1075/4300 अंकित फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर जवाब पेश हुआ जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि ग्राम कैलाशपुरा उर्फ़ कोकावास के खसरा नंबर 83 रकबा 0.43 हैक्टेयर पप्पूलाल चौधरी पुत्र छीतरमल चौधरी हिस्सा 1/4 प्रभुदयाल पुत्र छीतरमल हिस्सा 1/4 जाति जाट सा देह की खातेदारी में अंकित है। रजिस्टर्ड उपहारपत्र दिनांक 11–9–2018 क्रम संख्या 201803024105712 व प. दिनांक 11–9–2018 क्रम संख्या 201803024105711 उप पंजीयक सांगानेर प्रथम से छीतरमल पुत्र पांचूराम द्वारा खसरा नंबर 83 रकबा 0.43 हैक्टयर, खसरा नंबर 84/637 रकबा 0.08 में खसरा नंबर 83 रकबा 0.43 है0 में हिस्सा 1/2 का 1000/2150 व खसरा नंबर 84/637 रकबा 0.08 है में हिस्सा 1/2 का 1/2 पप्पूलाल चौधरी के पक्ष में खसरा नंबर 83 रकबा 0.43 है में हिस्सा 1/2 का 1000/2150 भाग व खसरा न 84/637 रकबा 0.08 में हिस्सा 1/2 [illegible] 1/2 प्रभुदयाल पुत्र छीतरमल जाति जाट के पक्ष में उपहार पत्र पंजीबद्ध [illegible] पुत्रो से ग्राम कैलाशपुरा उर्फ़ कोकावास का नामा स 306 ख न. 83 [illegible] खसरा नंबर 84/637 रकबा 0.08 किता 2 रकबा 0.51 में छीतर पुत्र पांचूराम हिस्सा 1/2 जाति जाट के बजाय पप्पूलाल चौधरी पुत्र छीतरमल हिस्सा 1/4, प्रभुदयाल चौधरी पुत्र छीतरमल जाति जाट हिस्सा 1/4 के पक्ष में

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.22 17:31:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

नामान्तरकरण स्वीकृत होकर अमल दरामद हुआ एवं वर्तमान में भी उक्तानुसार ही प्रविष्टी अंकित है। संलग्न उपहारपत्रों द्वारा खसरा नंबर 83 रकबा 0.43 में उपहारकर्ता ने उपहार गृहीताओ के पक्ष में अपने हिस्सा 1/2 का 1000/2150 व 1/2 का 1000/2150 हिस्सा ही उपहार किया था। परन्तु नामान्तरकरण में सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 व 1/4 अर्थात 1/2 हिस्सा अंकित है । संलग्न उपहारपत्रों अनुसार खसरा नंबर 83 रकबा 0.43 है में उपहारकर्ता का शेष 3/86 हिस्सा शेष रहना था । बिंदु संख्या 4 से 8 न्यायिक है।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

पत्रावली प्रार्थना पत्र 136 भू–राजस्व अधिनियम, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार सांगानेर से जवाब प्रार्थना पत्र/रिपोर्ट का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रार्थीगण की बहस का सगौर मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि ग्राम कैलाशपुरा उर्फ़ कोकावास के खसरा नंबर 83 रकबा 0.43 हैक्टेयर पप्पूलाल चौधरी पुत्र छीतरमल चौधरी हिस्सा 1/4 प्रभुदयाल पुत्र छीतरमल हिस्सा 1/4 जाति जाट सा देह की खातेदारी में अंकित है। रजिस्टर्ड उपहारपत्र दिनांक 11–9–2018 क्रम संख्या 201803024105712 व प. दिनांक 11–9–2018 क्रम संख्या 201803024105711 उप पंजीयक सांगानेर प्रथम से छीतरमल पुत्र पांचूराम द्वारा खसरा नंबर 83 रकबा 0.43 हैक्टयर, खसरा नंबर 84/637 रकबा 0.08 में खसरा नंबर 83 रकबा 0.43 है0 में हिस्सा 1/2 का 1000/2150 व खसरा नंबर 84/637 रकबा 0.08 है में हिस्सा 1/2 का 1/2 पप्पूलाल चौधरी के पक्ष में खसरा नंबर 83 रकबा 0.43 है में हिस्सा 1/2 का 1000/2150 भाग व खसरा न 84/637 रकबा 0.08 में हिस्सा 1/2 का 1/2 प्रभुदयाल पुत्र छीतरमल जाति जाट के पक्ष में उपहार पत्र पंजीबद्ध हुआ । रजि उपहार पत्रों से ग्राम कैलाशपुरा उर्फ़ कोकावास का नामा स 306 ख न. 83 रकबा 0.43 खसरा नंबर 84/637 रकबा 0.08 किता 2 रकबा 0.51 में छीतर पुत्र पांचूराम हिस्सा 1/2 जाति जाट के बजाय पप्पूलाल चौधरी पुत्र छीतरमल हिस्सा 1/4, प्रभुदयाल चौधरी पुत्र छीतरमल जाति जाट हिस्सा 1/4 के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत होकर अमल दरामद हुआ एवं वर्तमान में भी उक्तानुसार ही प्रविष्टी अंकित है। संलग्न उपहारपत्रों द्वारा खसरा नंबर 83 रकबा 0.43 में उपहारकर्ता ने उपहार गृहीताओ के पक्ष में अपने हिस्सा 1/2 का 1000/2150 व 1/2 का 1000/2150 हिस्सा ही उपहार किया था। परन्तु नामान्तरकरण में सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 व 1/4 अर्थात 1/2 हिस्सा अंकित है । संलग्न उपहारपत्रों अनुसार खसरा नंबर 83 रकबा 0.43 है में उपहारकर्ता का शेष 3/86 हिस्सा शेष रहना था, जिसे दुरूस्त करना उचित प्रतीत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.22 17:31:02 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

में वर्णितानुसार रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 11.09.2018 के मुताबित वाके ग्राम कैलाशपुरा उर्फ कोकावास पटवार हल्का शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 83 रकबा 0.43 हैक्टेयर में प्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 150/4300, प्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा 1000/4300 व प्रार्थी संख्या 3 का हिस्सा 1000/4300 का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार सांगानेर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2023 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.22 17:31:02 IST
Reason: SelfAttested